

# कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

कमांक : 45

दिनांक-20.10.2023

## कार्यालय आदेश


मुझ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कारणों से इस कार्यालय के कार्यालय आदेश कमांक 43 दिनांक 30.09.2023 में आंशिक संशोधन किया जाकर उदयपुर न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायालयों से संबंधित पुलिस थानों के न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा, जमानत संबंधी व अति आवश्यक कार्य (मृत्यु कालीन कथन, इंक्वेस्ट आदेश) करने हेतु निम्न सारणी के कॉलम संख्या-3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट को उनके नाम के पूर्व कॉलम संख्या-2 में अंकित दिनांक के लिए अधिकृत किया जाता है :-

(Time 10:00 am to 12:00pm)

1	2	3	4
क.सं.	अवकाश दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन	मोबाईल नम्बर
1	28.10.2023	श्रीमती मीनाक्षी चौधरी, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.1, Udaipur	9460553572
1	29.10.2023	श्रीमती मीनाक्षी चौधरी, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.1, Udaipur	9460553572

नोट : (1) उक्त वर्णित अवकाशों में जिला मुख्यालय, उदयपुर से बाहर के दंडाधिकारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के पदस्थापन क्षेत्र में उपस्थित रहने पर उनकी क्षेत्राधिकारिता में आने वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित उपर्युक्त आवश्यक कार्य उनके स्वयं के द्वारा ही किए जाएंगे तथा स्वयं की अनुपस्थिति में उपर्युक्त कार्य जिला मुख्यालय उदयपुर के दंडाधिकारी न्यायालयों हेतु अधिकृत उक्त वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किए जाएंगे। उक्त वर्णित अधिकारीगण अपने रिमांड ड्युटी दिवस पर बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे व न्यायालय समय पश्चात अपने आवास पर रहकर उपर्युक्त कार्य संपादित करेंगे।

(2) माह के किसी भी राजकीय/स्थानीय अवकाश दिवस के पूर्व अथवा पश्चात कार्य दिवस को किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में घोषित अवकाश दिवस हेतु रिमांड ड्युटी, घोषित अवकाश के निकटतम पूर्व/पश्चात अवकाश दिवस हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वहन की जाएगी।


  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर (राज.)

दिनांक : 20.10.2023

कमांक - स्थापना /2023/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई-मेल प्रेषित है -

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक को अधीनस्थ थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमांड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
3. समस्त अधीनस्थ दंडाधिकारी न्यायालय, उदयपुर।
4. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को एपीपी की ड्युटी की व्यवस्था हेतु।
5. श्री अमोल शांडिल्य, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर।
6. बार एसोसिएशन, उदयपुर

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर (राज.)